प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 18.04.2025

- **जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही।**
- **महिला सम्बन्धी अपराध में थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए वाद सं0 553/2024 धारा 125(3) सीआरपीसी से संबंधित 01 नफर गुमशुदा/ वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियंत्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे तथा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, वाद सं0 553/2024 धारा 125(3) सीआरपीसी मोहिनी बनाम श्याम बाबू उर्फ गीतू से सम्बन्धित गुमशुदा/वारण्टी अभियुक्त श्याम बाबू उर्फ गीतू पुत्र राम खिलावन निवासी पिम्मा निवादा थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात के विरूध्द मा0 न्यायालय कानपुर देहात में गुजारा भत्ता का वाद दायर किया गया था। जिसमें श्याम बाबू के पिता राम खिलावन पुत्र बच्ची लाल द्वारा अपने पुत्र श्याम बाबू उर्फ गीतू उपरोक्त के घर से कही बिना बताये दिनांक 15.11.2024 को चले जाने के सम्बन्ध में दिनांक 31.12.2024 को प्रार्थना पत्र देकर गुमशुदगी दर्ज करायी गयी थी। अभियुक्त श्याम बाबू उपरोक्त के विरूध्द मा0 न्यायालय कानपुर देहात द्वारा भरण पोषण की राशि अदा न कर पाने के कारण एनबीडब्लू की कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना रसूलाबाद पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए वारण्टी अभियुक्त श्याम बाबू उर्फ गीतू पुत्र राम खिलावन उपरोक्त को दिनांक 17/18.04.2025 की रात्रि को रसूलाबाद चौराहा से 21.10 बजे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारशुदा वारण्टी अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

श्याम बाबू उर्फ गीतू पुत्र राम खिलावन निवासी पिम्मा निवादा थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात, उम्र लगभग 30 वर्ष।

<u>गिरफ्तार करने वाली थाना रसूलाबाद पुलिस टीम-</u>

1. उ0नि0 श्री कृपाल सिंह, चौकी प्रभारी तिश्ती
2. का0 191 केशव यादव